Uncorrected – Not for Publication LSS-D-II

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, December 19, 2008/ Agrahayana 28, 1930 (Saka)

Please see the supplement also.

RESOLUTION RE: LEGISLATION FOR THE OVERALL DEVELOPMENT OF PERSONS BELONGING TO DENOTIFIED TRIBES AND NOMADIC TRIBES—contd.

1532 hours

MR. CHAIRMAN: (SHRI VARKALA RADHAKIRSHNAN): Shri Haribhau Rathod, you can continue your speech now.

1532 बजे

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): समापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार के सामने प्रस्ताव कर रहा हूं कि भारत सरकार विमुक्त समाज के हित में ऐसा बिल लाए, जिसके आधार पर विमुक्त समाज का सर्वांगीण विकास हो। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा, सर्विस एवं राजनीति में आरक्षण देने की नीति अलग से नीति अपनाई जाए। आज देश में 15 करोड़ लोग, काफी दयनीय स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। वे विकास से कोसों दूर हैं।

खूब गर्म कर के, उसकी मोहर लगाई जाती थी, ताकि इनकी पहचान हो सके कि ये क्रिमिनल कास्ट से काका कालेलकर की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार नहीं की और सरकार ने इस आयोग को नकार दिया। उसका परिणाम करोड़ों लोगों को आज भी भुगतना पड़ रहा है और ये विकास से आज भी काफी दूर हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदेश पर जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी और जब इस योजना की प्लानिंग चल रही थी, जब इसके डाक्यूमेंट्स बने तो इस योजना में यह फरमान जारी किया गया, सारे राज्यों को कहा गया कि डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लिए आप कुछ योजनाएं बनायें, इन लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए आप कोई प्रावधान करें, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी लिस्ट तो निकाली, लिस्ट जारी की, लेकिन इनके लिए कोई योजना नहीं बनी, कोई सहूलियत नहीं दी गई। इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं, उस समय इनके लिए एजुकेशनल बेनीफिट्स दिये गये, जो फीस माफ और मैट्रिक के बाद जो स्कालरशिप होती है, मैट्रिक के बाद कालेज में जाने के लिए गवर्नमेंट ऑप इंडिया स्कालरशिप इनके लिए दी गई, लेकिन ऐसे भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स को मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कालरशिप इनके लिए थी और जो डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लोग थे, उनको भी मालूम नहीं है कि वे लोग डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स में आते हैं। आज भी 400 से अधिक जातियों की मैं बात कर रहा हूं, 400 से 450 के करीब कास्ट्स इसमें आती हैं, लेकिन जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, शायद उनको पता नहीं है कि रेन्के आयोग हमारे लिए था। शायद उनको यह पता भी नहीं होगा कि यह बात हमारे लिए है, लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि विमुक्त समाज की यह सूची जो हर एक स्टेट में है, वह जारी करनी चाहिए और इनके लिए जो रेन्के आयोग बनाया गया था, इसकी इन्फोर्मेशन दूरदर्शन से और पेपर के माध्यम से हर जगह पहुंचनी चाहिए।

इस दौरान एक बात हुई, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रोग्रेसिव स्टेट है कि जहां छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, इनके विचारों के आधार पर काम करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वसन्तराव जी नाईक थे।

(c3/1540/cp/rs)

उन्होंने इस योजना आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विमुक्त समाज के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण दिया। उन्होंने शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा, नौकरी तथा पदोन्नति में भी आरक्षण दिया। इस वजह से महाराष्ट्र में क्रांति आयी और लाखों विमुक्त घुमन्तू समाज के लोग नौकरी पर लगे। हजारों डाक्टर, इंजीनियर इस समाज से बने और विकास की मुख्यधारा से जुड़ गए, लेकिन केंद्र सरकार से इनको कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उनको सुविधा दी, लेकिन हम देखते हैं नेशनलाइज्ड

बैंक, रेलवे, पोस्ट आफिस, एलआईसी, जीआईसी और केन्द्र से शासित जो कई आफिसेज होते हैं, वहां दफ्तर में इनका एक क्लास वन या क्लास टू आफीसर छोड़िए, प्यून भी नहीं लगा है।

महोदय, मेरी मांग है कि इनको महाराष्ट्र राज्य जैसी सुविधायें सारे देश में मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में अपनायी गयी रिजर्वेशन पालिसी सारे देश में लागू की जानी चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार श्रम योजना आपने महाराष्ट्र से ली। महाराष्ट्र से एक प्रोग्रेसिव और क्रांतिकारी योजना आपने ली है, तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र से लायी गयी पालिसी सारे देश में लागू की जाए, ताकि 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो।

महोदय, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1913 में डीनोटिफाइड सेटलमेंट इन लोगों के लिए खोला था, जो हर शहर में था। उसमें इनके लिए अलग बजट का प्रोवीजन रखा गया था। उनकी शिक्षा, स्कालरशिप की व्यवस्था की, उनके काम-धंधे के लिए आज भी बड़ी-बड़ी कॉटन मिल्स वहां मौजूद हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसे हमारी सरकार ने वापस ले लिया। जो ब्रिटिश सरकार इनके लिए करना चाहती थी, उसे क्या हमारी सरकार नहीं करना चाहती है? हमारी सरकार ने क्यों उनके लिए बजट रखना बंद कर दिया? वर्ष 1953-58 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बयान दिया था, वह योजना आयोग के दफ्तर में आज भी मौजूद है कि डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए करोड़ों रूपए का अलग बजट था, वह क्यों बंद कर दिया गया? महोदय, आपके माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।

be exploited by more developed groups from the OBCs themselves. His dissent

So far as the categories of backward classes are concerned, hon. Supreme Court, in its Judgement in Indira Sahney case has very clearly suggested to the Government of India and State Governments that a large number of castes, communities and groups enlisted under the OBC list are not having the same socio, economic, and political level of development. Hon. Supreme Court has observed and directed that there is a vast gap between one caste and the other. I would like to quote the relevant portion of the hon. Supreme Court's verdict. It says:

> "92A, we are of the opinion that there is no Constitutional or legal bar to State categorizing the Backward Classes as Backward and more Backward. We are not saying that it ought to be done. We are concerned with the question if a State makes such a categorization, whether it would be invalid? We think not. Let us take the criteria involved by the Mandal Commission. Any caste, group or class which scored eleven or more points was treated as a Backward Class. Now it is not as if all the several thousands of castes, groups, classes scored identical points. There may be some castes, groups, classes which have scored points between 20 and 22 and there may be some who have scored points between eleven and thirteen.
> (g3/1550/lh-rjs)
>
> It cannot reasonably be denied that there is no difference between these two sets of Castes/Groups/Classes. To give an illustration, take occupational Groups *viz* Goldsmiths and Vaddes (traditional stone cutters in Andhra Pradesh) both included within other Backward Classes. None can deny that Goldsmiths are far less backward than Vaddes. If both of them are ground together and reservation provided, the inevitable result would be that Goldsmiths would take away all the reserved points leaving none for Vaddes. In such a situation, a State may think it advisable to make a reservation even among other backward classes so as to ensure that the more backward among the Backward Classes obtain the benefits intended for them. ..."

महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट जिसे नौ जजेज ने दिया था, उसके ऊपर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह बहुत जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था, एल.आर. नायक जी ने सही कहा था, नैशनल ओबीसी कमीशन वाले भी सही बात कह रहे हैं, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। इस मांग को करने वाला कोई नहीं है, न्याय देने वाला कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, यह दिशा-निर्देश देने के बाद भी किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया और न ही केन्द्र सरकार ने इस पर कोई कदम उठाया। पिछले 60 सालों से विमुक्त-घुमंतु जाति के लोग एससी/एसटी जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। आजकल कोई भी जाति एससी/एसटी जाति में आने की मांग कर देती है। लेकिन 1967 में इन लोगों को एससी/एसटी में लाने के लिए एक बिल इसी सदन में लाया गया था, लेकिन उस बिल को काफी विरोध झेलना पड़ा। इस पर ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बैठाई गयी और फिर वह बिल संसद में लाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अथक प्रयास के बावजूद भी यह बिल पूरी तरह से पारित नहीं हुआ। राज्यों में एरिया रिस्ट्रक्शन लगाकर बिल पास हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर सभी पार्टियों के एसटी सांसदों ने दबाव बनाया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी और माननीय बाबू जगजीवन राम जी, जो बैकवर्ड क्लास के नेता थे, उनके अथक प्रयास के बावजूद ...(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन जी का जो सपना था, वह आज

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, एनडीए सरकार ने जस्टिस वैंकटचलैया की अध्यक्षता में नैशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कमीशन बैठाया था। उसके तहत यह देखना था कि हमारा कांस्टीट्यूशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं? कांस्टीट्यूशन के मुताबिक लोग सुखी हैं या नहीं? हमने उनको भी निवेदन दिया था और कहा था कि कांस्टीट्यूशन में इन लोगों को आप क्यों भूल गये? कांस्टीट्यूशन के दायरे में ये लोग क्यों नहीं आये?

(h3/1555/rps/kkd)

डिनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लिए इस संविधान में जगह रखिए। यह इस संविधान की कंकरेन्ट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है। यह स्टेट लिस्ट में भी है लेकिन अभी तक इसकी फाइल नहीं खुली है। वेंकटचलैया जी ने कहा था कि इनके लिए एक कमीशन बनाइए। उन्होंने कहा था:

> "The De-notified Tribes/Communities have been wrongly stigmatized as crime prone and subjected to highhanded treatment as well as exploitation by the representatives of law and order as well as by the General Society."

उन्होंने आगे कहा था:

> "The Commission also considered the representations made on behalf of the De-notified and Nomadic Tribal Rights Action Group and decided to forward them to the Ministry of Social Justice and Empowerment with the suggestion that they may examine the same preferably through a Commission."

यह रिकमेंडेशन थी। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक हमने मांग की थी। हमारे साथ, हमारे घुमन्तु समाज की नेता महाश्वेता देवी जी, गोपीनाथ मुंडे, रंजीत नाइक, प्रमोद महाजन, गायकवाड़, रामदास आठवले आदि माननीय सदस्यों ने तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी से मिले थे और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था। उन्होंने इनके लिए बी.मोतीलाल नायक की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था, मुझे भी उस कमीशन का सदस्य बनाया गया था। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि हम आयोग बनाएंगे, इन लोगों का कल्याण करेंगे और उन्होंने किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कमीशन की रिपोर्ट दो जुलाई को सरकार के पास आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि जल्दी ही हम इसे कैबिनेट के सामने ले जाएंगे। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया है कि यह विचाराधीन है। जब हम तीन साल पहले प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो हमारी जो मांगें थीं, उनके ऊपर डा0गणेश डेवी की अध्यक्षता में एक टीएजी

बैठाई गयी थी। इस टीएजी को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। टीएजी ने अपनी रिपोर्ट तीन महीने में दे दी, लेकिन वह रिपोर्ट पीएमओ के पास पहुंची, नहीं पहुंची या कहां गयी, उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। मुझे डर है कि बहुत सारे आयोगों, समितियों की रिपोर्ट्स दबा दी गयीं, उनको अनदेखा किया गया है। इस देश में 15 करोड़ लोग आज भी खुले आसमान के नीचे, पिछले 60 वर्षों से जीवन व्यतीत करते हुए हताशा का अनुभव कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन उन पर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं। आज भी पुलिस कोर्स में पढ़ाया जाता है कि ट्राइबल्स का अर्थ अपराधी है। आज भी यदि हमारे यहां डकैती हो गयी तो अखबारों में छपता है कि पार्धी समाज के व्यक्ति को अरेस्ट किया। अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति को नाम के बजाय उसके समाज के नाम से अखबारों में खबर छपती है। ऐसा भी हुआ कि पार्धी समाज के लोग जहां-जहां घूमते हैं, उनको पत्थर से मारा जाता है, उनको जिन्दा जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, उन पर अन्याय हो रहे हैं। उनको क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा जाता है। सरकार ने उनको क्रिमिनल नाम दिया, वे तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जंग लड़ी थी, इसलिए तत्कालीन सरकार ने उनको क्रिमिनल्स कहा था। हम अंग्रेजो के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल्स कहा था, लेकिन इन लोगों पर आज भी अत्याचार और अपमान हो रहा है। आज भी हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे माथे पर लगाया गया कलंक दूर नहीं हुआ है। इसीलिए इस समुदाय के लिए अपराधी शब्द प्रयोग किया जाता है। स्वर्गवासी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उनको विमुक्त घुमंतू जाति घोषित करके सम्मान दिया, नाम दिया, लेकिन उत्पीड़न से हमें मुक्ति नहीं मिली है।

(j3/1600/jr-krr)

परंतु उत्पीड़न के शिकार इन लोगों को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। आज भी इनका इस्तेमाल पुलिस की डायरी को पूरा करने के लिए, पुलिसकर्मियों की प्रमोशन के लिए और राजनीतिज्ञों के वोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है। यदि इन करोड़ों लोगों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहा तो इन्हें फिर से आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। इन लोगों के मन में यही धारणा है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली, हम आजाद नहीं हुए। इसलिए आज तक इन लोगों को देश की आजादी का लाभ नहीं मिला है। इनके पास न तो राशन कार्ड है, न ही सिर छिपाने के लिए छत है। ये लोग आज भी जगह-जगह घूमने को और खुले आकाश तले रात गुजारने को विवश हैं। ये लोग भिक्षा मांग कर अपना गुजर-बसर करते हैं।

मैं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए जो रेनके कमीशन गठित किया गया था, उसकी सिफारिशों पर अमल किया जाए और इन्हें 60 प्रतिशत आरक्षण शिक्षा, नौकरियों में और राजनीति में मिलना चाहिए। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री लालू प्रसाद, श्री

यादव जी, कल्याण सिंह जी सहित सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इश्यू पर वे विचार करें और इन गरीबों को न्याय दिलाएं। ये 15 करोड़ लोग 400 जातियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभी तक समाज के दूसरे वर्गों के साथ लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। ये लोग आज भी घुमंतू जीवन जीने को विवश हैं।

मेरे पास इन सभी 400 जातियों की लिस्ट है, जिनका नाम समयाभाव के कारण मैं यहां नहीं ले सकता। लेकिन मैं इनमें से कुछ जातियों का उल्लेख करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में पाइडिस, येरुकुलास, डोंगा यानाडी, जोगलस, दासारि हैं। छत्तीसगढ़ में बंजारा, बैरागी, पारधी, पासी हैं। इनमें नोमैडिक ट्राइब्स भाट, जोगी, जोशी, गोसाई, धानगर, कसाई, राजगोंद, देवार आदि हैं। इसी तरह दिल्ली में डिनोटिफाइड कम्युनिटीज में अहेरिया, बंजारा, भील, बावरिया, खटीक, मल्लाह आदि हैं। गुजरात में कोली, हिंगोरा, छारा, बफन और नोमैडिक ट्राइब्स में नाथ, बजानिया, वाडी, तुरी, गारो, जोगी, गडलिया, घंटिया, चारण आदि आते हैं। हरियाणा में बरार, बउरिया, नट, सांसी और बंगाली हैं। ये करीब 400 जातियां हैं और इनकी लिस्ट मेरे पास है। मध्य प्रदेश में भी सांसी, बालदिया, कंजर, बंजारा, बागरी, नट, पासिया, बैरागिया आदि 62

काटते हैं उनके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिलती है। ये भटकती हुई जातियां हैं जिन का बहुत बुरा हाल है। देश के 15 करोड़ लोगों की बात कोई नहीं करता है।

मुझे ऐसा आभास होने लगा है कि शायद इस सदन में यह मेरा आखिरी भाषण होगा क्योंकि लोक सभा चुनाव नजदीक हैं। इसलिए मेरी बात को दबाया न जाए। यह 15 करोड़ लोगों की भावना और विकास का सवाल है। सदन में बैठे पक्ष और प्रतिपक्ष नेताओं से मेरी गुजारिश है कि आगामी लोक सभा चुनावों से पहले उक्त बात पर ध्यान देकर, इनके लिए बने आयोग की सिफारिशों को अतिशीघ्र लागू कराया जाए ताकि विमुक्त समाज के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): अब आप कनक्लूड करिए। आपके प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आपको बाद में भी बोलने का समय मिलेगा।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): मैं आग्रह करता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव सदन में एकमत से पास हो। मुझे आशा है कि देश के 15 करोड़ लोगों का जीवन ऊपर उठाने के लिए, करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु, सभी सम्मानित सदस्य मेरे साथ रहेंगे और मेरा प्रस्ताव पास करेंगे। धन्यवाद।

(इति)

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): Resolution moved:

"This House expresses its concern over the plight of persons belonging to Denotified tribes and Nomadic tribes including Banjaras and urges upon the Government to bring forward suitable legislation providing for:-

(i) promotion of educational and economic interests;
(ii) reservation of posts in the services under the State; and
(iii) reservation of seats in the House of the People and the State Legislative Assemblies,

in favour of persons belonging to Denotified tribes and Nomadic tribes including Banjaras and take all necessary steps for their overall development."

1607 hours

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir, I must appreciate my hon. colleague, Shri Haribhau Rathod, as he has taken the initiative to bring a Resolution for the welfare of the people belonging to nomadic, semi-nomadic and denotified tribes in our country. It is a very unusual Resolution, which we are now debating on. India had attained its freedom 60 years ago, but still we are bearing the administrative hang over, the legislative hang over of the British colonial power, which is vividly reflected in the plight of our people who, even after belonging to our own country, do not have their address, do not have their right to exercise franchise and do not have their right to procure food under our Public Distribution System as they do not have ration cards. These members of the wandering population visit place to place in a sub-human condition. They are the people who are suffering from utter poverty and neglect in our country.

Sometimes, I feel that those are the State-less citizens of our country who are using our soil, but they are unable to reap up the benefit and opportunities emanating from our soil. Sometimes, it is seen in conflict with our established Constitution where we have protected the rights and privileges of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by framing various articles and various provisions, but in spite of the similarity between the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and those nomadic and denotified tribes, they are even being deprived of getting their privilege, their rights in this country.

(13/1610/ak-sk)

Sir, if we peep through the history of our country, then we will find that the

were conquered by Sarmatians. Therefore, we can say that the ancestors of the Jat population of our country also belonged to the Nomadic race.

As regards Ahirs, who are the ancestors of Ahirs? The origin of Ahirs, a Nomadic tribe, and the stages of their migration into India are obscure. However, Abhira King -- who may be regarded as a successor of the Satvahanas and Sakas in the North-West Deccan -- is Raja Mathariputra Isvarasena. Abhiras were very powerful in Punjab at the time of Alexander's invasion.

If we take the case of Gujjars, the Gujjars are foreign people who came to

(m3/1615/vp/bks)

Those people even took up cudgels against the oppression and suppression of the British imperialists. Naturally, they were disliked by the British imperialism. In order to contain the influence of those fiercely independent people, the British imperialism branded them as criminal tribes. Nowhere in the world any community can be determined by the deeds committed or perpetrated by any individual of any community. But here, in our country, the colonial British branded one community after another, one tribe after another, on their own volition, declared as criminal tribes. To notify that criminal tribes, they even made legislation in the year 1871, under the nomenclature Criminal Tribes Act. At that time when the Act was enacted, it was implemented in the northern part of our country. Later on in the year 1911, the area of administration to notify Criminal Tribes Act was expanded which later included in other parts of our country also.

After Independence, the Indian Government took a special initiative to repeal the Act in the year 1952. This Act was required to erase the stigma which was imposed on the people of our country. But still it is a fact that a suspicion, mistrust still persists in our society, in those people who do not have their own shelter.

You will be astonished to know that the British officials forced them to move to a permanent reformatory settlement; it was a virtual prison; it was simply a labour camp. Can you imagine that the British officials have forced our citizens to stay in a labour camp, to procure cheap labour for their farming? Even those tribes who were forced to put into permanent reformatory settlement were not allowed to go beyond the limits of the camp.

We had tried to erase the stigma. But again when we see that in our country, after Independence, various States have legislated Habitual Offenders Act, then I think, the British Administrative hangover has been again re-visiting us. Why do we need Habitual Offenders' Act? We have our Code of Criminal Procedure; we have our Indian Penal Code; and others.

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): Please conclude your speech.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): I have taken only five minutes.

MR. CHAIRMAN: But I have a long list. Already we have taken 30 minutes on this.

(n3/1620/rk-asa)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, still some discrepancies persist in categorizing the Nomadic and Denotified tribes in various States of our country. I would give you an account of it. The Banjara people are treated as OBC in UP, however treated as Scheduled Tribes in Andhra Pradesh and the same tribe is being treated as Scheduled Castes in Karnataka and Denotified Tribe in Maharashtra and Tamil Nadu.

In the case of Badar, they are categorized as OBC in UP but Scheduled Tribes in Bengal and Denotified Tribe in Maharashtra and Tamil Nadu. I have a number of examples in this regard.

My first request to this Government, through the Hon. Minister, whom I think is very competent to make a social change of our country because she has raised the slogan of 'pay back to the society' which I always acknowledge with high appreciation. This kind of discrepancy, this kind of dichotomy should be done away with. They should be given a separate category. Like the Scheduled Castes and Scheduled Tribes they also can be given the privileges and other welfare provisions by our Union Government.

I would like to give you a brief account given by Mahasweta Devi who has won the Jnanpith Award. She has been for long associated with the tribal people all over the country. She has referred that her home State is West Bengal. In 1977 there were three notified tribes Lodha, Kheria and Sabar. Killing of

not for crimes committed by them. They were lynched only because they were born as Lodha. The Lodha tribe is still treated as the criminal tribe in various parts of the country, including West Bengal. The Sabars population in West Bengal is simply on the threshold of starvation throughout their life. Between 1960 and 1998 more than 50 Kheria Sabars had been killed by the police and mob-lynched. In all the cases, police took no action.

February 1998, in West Bengal Budhan Sabar was tortured by police and

such kind of discrimination is continuing. Already the Renke Commission has recommended various measures to protect these nomadic people who belong to various communities. I would request the hon. Minister to give details of nomadic tribes and denotified tribes which are remaining in India.

(ends)

1627 hours

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Sir, I rise to support the Resolution moved by hon. Shri Haribhau Rathod. He has already gone into details therefore, I do not want to go into details again. I would like to make a submission that in Gujarat also, there are 12 denotified communities, namely, Bafan, Chhara, Dafer, Hingora, Me, Miyana, Sandhi, Theba, Wagher, Waghari, Chuvalia Koli and Koli. If you look at their condition, it is the worst.

As regards nomadic tribes, in Gujarat, there are many tribes like, Bajania, Bajigar, Bhand, Nat Bajania, Gamdi, Kathodi, Katkari, Nath, Nath Bawa

1629 बजे

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे श्री हरिभाऊ राठोड़ द्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये आपके बीच में खड़ा हुआ हूं।

अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों के व्यक्तियों के समग्र विकास के लिये यह सदन कानून बनाये, उसके लिये चर्चा हो रही है।

(p3/1630/cs-snb)

माननीय राठौर जी ने यहाँ बड़े विस्तार से, जातिवाइज इंगित करके, सभी जातियों के बारे में विस्तार से बताया है। जहाँ तक विमुक्त जातियों और जनजातियों के बारे में देखा जाए, तो जैसा राठौर जी ने कहा कि लगभग चार सौ के करीब विमुक्त जनजातियाँ हैं, मेरे ख्याल से इनकी संख्या चार सौ से ज्यादा है, जिनकी अभी तक न तो स्थानीय स्तर पर सरकारों ने और न ही केंद्र सरकार ने कभी गणना कर इनका सर्वेक्षण कराने का प्रयास किया है। खासकर ये जातियाँ शहरों में, बड़े-बड़े महानगरों में और जंगलों में, देश के कोने-कोने में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वन क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्रों में पलायन करके हम लोगों के बीच में समय-समय पर मिलती रहती हैं। जिनका अभी तक, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, इनका सर्वे पूरी तरह से नहीं कराया गया है। इन जातियों के बारे में, विभिन्न राज्यों में इनकी स्थितियाँ भी बड़ी अलग-अलग हैं। कहीं पर ये अपने को शैड्यूल कास्ट में, कहीं पर जनजाति में आना चाहती हैं और कहीं पर पिछड़ी जाति में भी ये आने की कोशिश कर रही हैं। एक जाति की कम से कम पन्द्रह, बीस या पच्चीस उपजातियाँ हैं, जिनको ढूंढ निकालना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है।

यहाँ पर संकल्प में जो चर्चा है, उसमें केवल बंजारों और यायावर जनजाति के लोगों की बात कही गयी है। हमारे यहाँ ज्यादातर इलाहाबाद में, खासकर जनपद कौशाम्बी में, इलाहाबाद मंडल में चाहे प्रतापगढ़ हो या फतेहपुर, ऐसी तमाम जगह पर अगर देखा जाए तो आज भी जनजाति के लोग कोल बिरादरी के हैं, जिनका काम केवल पत्थर तोड़ना है। वे जंगलों में रहते हैं, पथरीले इलाकों में रहते हैं और पत्थर तोड़कर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस प्रकार तमाम जगह की स्थितियां, परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इन जातियों के लोगों की बहुत सी उपजातियाँ पायी जाती हैं। अभी सरकारों की बात यहाँ आई है कि तमाम सरकारों ने अपने यहाँ इनको क्या स्थान दिया है और इनके विकास के लिए, इनके शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए क्या-क्या किया है? हर राज्य सरकारों की स्थिति अलग है। हमारे उत्तर प्रदेश में दो-दो, तीन-तीन बार प्रस्ताव होकर आया, जैसे केवट हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, प्रजापति हैं, इस तरह की तमाम जातियाँ हैं, विधान सभा के अंदर यह प्रस्ताव पारित होकर, केंद्र सरकार के

पास यह मामला लंबित पड़ा हुआ है, इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात है। इन जातियों के बारे में अगर विस्तार से देखा जाए तो इनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक आधार पर बहुत बुरी है। इनकी स्थिति बहुत शोचनीय और दयनीय है। सामाजिक तौर पर बहुत सी ऐसी जातियाँ है जो अपने को समाज से बिल्कुल विमुख पाती हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि हम समाज से अलग-थलग हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनकी योजनाओं पर कोई अमल नहीं करती हैं, उनकी देखरेख नहीं करती, उनकी कहीं गणना नहीं है, उनके बच्चों की स्थिति बहुत खराब है, उनकी स्थिति बहुत खराब है।

जैसा राठौर जी ने कहा कि बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं, उनके सर पर छत नहीं है, उनके मकान नहीं हैं, उनके बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। वे भीख मांगने वाली जातियाँ हैं, घुमक्कड जातियाँ हैं, बंजारों की जातियाँ हैं, जो समय-समय पर अपना लाव-लश्कर झुंड में लेकर कहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर अपना खाना-पीना बनाया, दो-चार दिन रहे, लोकल स्तर पर उन्हें जो काम धाम मिला, रोजगार मिला, वहाँ करके फिर कहीं और पलायन कर जाते हैं। उनका कोई एक जगह निश्चित नहीं है कि ये किस देश के हैं, किस प्रांत के हैं, किस वन क्षेत्र के हैं, मैदान के हैं या शहर के हैं, किस नगर के हैं, यह कुछ पता नहीं लग पाता है। कम से कम ऐसी जातियों की तरफ तो हमें गौर करना ही चाहिए। मंत्री मीरा कुमार जी यहाँ बैठी हैं। मेरे ख्याल से यह इस दर्द को अच्छी तरह से जानती हैं।

(q3/1635/hcb/ru)

केन्द्र सरकार के पास इन तमाम जातियों को अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक राज्यों के अधीन सेवाओं के पदों पर आरक्षण की बात कही गई, मैंने देखा कि इन जातियों की इतनी बुरी स्थिति के बाद भी तमाम जगहों पर अगर ढूँढा जाए तो आपको इने-गिने लोग आईपीएस और आईएएस तक मिल जाएंगे। अगर कभी उनके बीच में बैठकर उनके दर्द को सुनिये तो वे अपने दर्द को बयां करते हैं कि कहां से आए हैं, कैसी उनकी माली हालत थी, किस प्रकार से पढ़-लिखकर वे इस पोस्ट पर आए हैं। अगर वाकयी इनको शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर महत्व देने की बात करें ...(व्यवधान) मैं खत्म ही कर रहा हूँ। मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं। इनकी स्थिति को देखते हुए अगर सरकार इनको संरक्षण दे तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

इस संकल्प में यह प्रस्ताव भी है कि लोक सभा और विधान सभा में इनकी सीटों का आरक्षण किया जाए। राठौड़ जी से मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो महिला आरक्षण बिल भी लंबित है, इनके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। अभी इनके बारे में हमको शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और तमाम आरक्षण सेवाओं के आधार पर, ये किस जाति में आएँगे, कहाँ आएँगे, उनको आवास देने की बात है

उनके बच्चों की पढ़ाई की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है, जब यह सब आएगा, तब हम लोक सभा और विधान सभा की बात कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सोच अच्छी है। मैं केन्द्र सरकार से और खासकर मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इन जातियों का राज्यवार ब्यौरा, चाहे वे पूर्वोत्तर के राज्य हों या हमारे पिछड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश हों, तमाम ऐसी जगहों पर दूर-सुदूर अंचलों में, वनों में इनका एक तरफ से सर्वे कराना चाहिए कि कौन सी ऐसी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं या उपजातियाँ हैं, जिनका लेखा-जोखा आज हमारे रिकार्ड में नहीं है और कैसे इनको संरक्षण दिया जाए, कैसे

1638 hours

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the resolution on the plight of persons belonging to denotified tribes and nomadic tribes including the Banjaras. I am requesting the Government to bring suitable legislation for their overall development. The Resolution moved by the hon. Member, Shri Haribhau Rathod is a welcome step in the right direction.

We know that our Constitution provides for the welfare and development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. But there are a number of denotified tribes and nomadic tribes including the Banjaras who continue to suffer from constant hunger, malnourishment, ill-treatment and exploitation.

According to 2001 census, the Scheduled Tribes accounted for 84.32 millions corresponding to 8.2 per cent of the country's population. These tribes and nomads can be empowered through education and vocational employment programmes. More outlays should be made for development of forest villages and minor irrigation of tribal villages and their land in the country. Similarly, more developmental schemes should be launched by extending financial assistance to Self Help Groups.

(r3/1640/rbn/sb)

Family-oriented income generating schemes should be launched for their development. Community-based development schemes for the Primitive Tribal Groups and forest villagers should be encouraged.

Education can change the lives of people for generations. Therefore, emphasis should be given on the education of de-notified and nomadic tribe girls, especially in the low literacy areas. More Central sector scholarship schemes for the education of de-notified tribes and nomadic community should be launched. Meritorious de-notified students should be encouraged to pursue their studies at degree and at post-graduate levels.

Financial support should be extended to them in the form of term loans and micro credit at concessional rates of interest for income generating activities. In order to encourage marketing of tribal products, more and more Tribal Marketing Federations should be created in the country. More retain markets and sales outlets should be set up to help the forest dwellers.

There is an urgent need to implement the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. This will go a long way in recognizing the forest rights of forest dwelling de-notified tribes and nomadic tribes.

1642 hours

There is another case. In this connection, I would like to mention that there are *dalit* Christians, *dalit* Muslims. There is a Committee appointed to inquire about their rights. It is the Ranganatha Misra Committee. If I understand properly, that Committee has already submitted its Report and the recommendations. I do not know how to describe it. An attitude of keeping quiet is one thing. In a way, they are trying to keep it away from the people. It is kept a secret. It has not been placed on the Table of this House. Nobody knows what the Report of the Ranganatha Misra Committee is. It is about several millions of people who think that probably they would overcome their social oppression and repression by way of conversion. Probably, that did not happen. Now, they are nowhere. They are neither here nor there.

In a democracy, it is the responsibility of the Government to see that every section of the people is taken into account. Whatever is their legitimate right, that right is to be accepted. Here, it is not happening. That is the unfortunate situation. This case is another classic example. If the figure of 15 crore people is correct, I am very sorry that nothing has been done. There is a Report of the Technical Advisory Group on De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes of the Government of India, 2006. We are good at making Reports. Probably these Reports will find very good reading for the posterity when they come to the Library. But the responsibility of the Government is not merely making Reports.

I have glanced through that Report. So many welcome suggestions are there to improve their social status, to improve their economic condition and to provide for reservation in education and jobs. Good suggestions are there. There are suggestions in the Report but the Government is not acting on it. At the end of the discussion, I am sure, the hon. Minister will say that she congratulates the hon. Member for bringing forward this Resolution. The hon. Minister may also say: "We will take note of it."

Madam Minister, I remember that one of the first Resolutions in this House which was discussed – you were the Minister – was about reservation to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people in the private sector. Four-and-a-half years ago, we discussed it. I remember the beautiful answer that you gave that the Government would take action, would consider that seriously. Four-and-a-half-years passed. I do not know whether you remember it or not. I hope you remember it. But a Minister should remember and act. Only then your responsibility is fulfilled. I am sorry, the Government did not act on that. I do not want to take much of the time of this House. We are discussing about a large section of the people – 15 crore of people – who are dispossessed, who are landless, who are homeless but in a sense who have nothing of their own.

(t3/1650/ksp/rpm)

At least the State should claim that they accept these people as our citizens.

NEXT